

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2)विभाग

क्रमांक:प0 12(1)चिस्वा/2/2018/विविध

जयपुर, दिनांक: -06.11.18


आदेश

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 82 दिनांक 05.10.18 द्वारा नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों में से निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों द्वारा कार्यग्रहण में अभिवृद्धि हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों को निरस्त किया जाता है:-

क्र.स.	चिकित्सक का नाम	पदस्थापन स्थान	चाही गई अभिवृद्धि	कारण
1	डॉ जितेश कुमार गर्ग	सैटेलाईट चिकित्सालय शाहपुरा, भीलवाडा	3 माह	ईएसआई मॉडल चिकित्सालय में पदस्थापित होने के कारण
2	डॉ दीप्ती शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिनसिनी, भरतपुर	6 माह तक	माताजी को ब्लड कैंसर होने के कारण


उक्त चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 15.11.18 तक आवश्यक रूप से अपने पद पर कार्यग्रहण करें।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निदेशक(जनस्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में अपने स्तर से भी उक्त चिकित्सकों को दिनांक 15.11.18 तक कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।
4. प्रभारी सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।


(ओ० पी० वर्मा)
शासन सहायक सचिव